[2022] 2 एस. सी. आर. 893

आई-भुगतान समाशोधन सेवाएँ निजी सीमित

विरुद्ध

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

(2022 की सिविल अपील संख्या 7)

3 जनवरी, 2022

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, न्यायाधीशगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 34(4)-मध्यस्थता पक्षकारों के बीच विवाद के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड मध्यस्थता जो कि धारा 8 के अंतर्गत संदर्भित किया गया- प्रत्यर्थी द्वारा धारा 34(1) के अंतर्गत उक्त अवार्ड को अपास्त किए जाने हेतु याचिका प्रस्तुत की गई-उसी याचिका में, अपीलार्थी द्वारा मामले को एकमात्र मध्यस्थ को भेजने के लिए प्रस्ताव का नोटिस अंतर्गत धारा 34(4) प्रस्तुत किया गया- मध्यस्थ के द्वारा निर्धारण के लिए पाँच बिंदु बनाए गए थे और बिंदु संख्या 1 निम्न थी, " क्या उत्तरदाता के द्वारा अनुबंध अवैध रूप से और अचानक समाप्त कर दिया गया था?" – उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक बिंदु संख्या 1 पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है तब तक मध्यस्थ को अपीलार्थी द्वारा किए गए दावों पर निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए आगे नहीं बढना चाहिए था, इस प्रकार मध्यस्थ ने अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की है-उच्च न्यायालय ने माना कि अवार्ड में दोष सुधार किए जाने योग्य नहीं था और तदनुसार अपीलार्थी द्वारा लिए गए प्रस्ताव की सूचना अतंर्गत धारा 34(4) को खारिज कर दिया। औचित्य-अभिनिर्धारित-उचित-केवल इसलिए कि एक आवेदन अंतर्गत धारा 34(4) एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है, न्यायालय की ओर से मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रेषित करना हमेशा अनिवार्य नहीं होता है- धारा 34(4) के अंतर्गत प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग, जहां अपर्याप्त तर्क है या तर्क में अंतराल को भरने के लिए, उन निष्कर्षों के समर्थन में किया जाना है जो पहले से ही अवार्ड में दर्ज हैं-अतिरिक्त कारणों की आड़ में और तर्क में अंतराल को भरने के लिए, मध्यस्थ को कोई अवार्ड नहीं भेजा जा सकता है, जहां अवार्ड में विवादास्पद मुद्दे इस पर कोई निष्कर्ष नहीं हैं - धारा 31, 34(1), 34(2ए) और 34 (4), का एक सामंजस्यपूर्ण पठन यह स्पष्ट करते हैं कि उपयुक्त मामलों में, एक पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर, न्यायालय मध्यस्थ को एक अवसर दे सकता है कारण बताने के लिए मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए या एक निष्कर्ष के समर्थन में आई कमियों को भरने के लिए, जो पहले से ही अवार्ड में प्रस्तुत किया गया है-लेकिन साथ ही, जब यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अवार्ड में एक पेटेंट अवैधता है, तो एक विवादास्पद मुद्दे पर एक निष्कर्ष दर्ज नहीं करके, ऐसे मामलों में, अदालत मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अवसर देने के लिए किसी पक्ष के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता है।

निर्णय/आदेश - 'निष्कर्ष' और 'कारण' - के बीच अंतर-अभिनिर्धारित-निष्कर्ष एक मुद्दे पर एक निर्णय है जबकि कारण उन सामग्रियों के बीच संबंध हैं जिन पर कुछ निष्कर्ष आधारित हैं और वास्तविक निष्कर्ष हैं।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने,

निर्धारित किया गया: धारा 34(4) अंतर्गत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के पढने से स्पष्ट है कि उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्रस्तुत होने पर, किसी पक्ष के अनुरोध पर उपयुक्त मामलों में, न्यायालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण को आदेश देने के लिए अपने द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने या मध्यस्थता न्यायाधिकरण की राय में ऐसी अन्य कार्रवाई करने का अवसर, मध्यस्थता अवार्ड को अलग करने के आधार को समाप्त कर देगा। [पैरा 17] [904 बी-डी]

2. जब यह प्रत्यर्थी का विशिष्ट मामला है कि तो बिंदु नं 1 अर्थात् "। क्या प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध अवैध रूप से और अचानक समाप्त कर दिया गया था? कोई निष्कर्ष नहीं है, तब अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत छूट की अनुमति नहीं है। अधिनियम की धारा 34 (4) का उपयोग अवार्ड में पहले से दिए गए निष्कर्ष पर कारणों को दर्ज करने या अवार्ड के तर्क में अंतराल को भरने के लिए किया जा सकता है। 'निष्कर्ष' और 'कारणों' के बीच अंतर है। निष्कर्ष एक मुद्दे पर एक निर्णय है जबकि कारण उन सामग्रियों के बीच संबंध हैं जिन पर कुछ निष्कर्ष आधारित हैं और वास्तविक निष्कर्ष हैं। बिन्दु क्र.1 पर किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा अनुरोध किया गया है और आगे, यह उनका मामला है कि पक्षों के बीच 'सहमति और संतुष्टि' साबित करने के लिए मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक सामग्री पर विचार नहीं किया जाता है, और वही पेटेंट अवैधता के बराबर है, ऐसे पहलुओं पर न्यायालय द्वारा ही विचार किया जाना है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां बिंदु संख्या 1 अर्थात् " क्या प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध अवैध रूप से और अचानक समाप्त कर दिया गया था? ” पर निष्कर्ष के अभाव में अतिरिक्त कारण या तर्क में कमी को भरा जाना है। [पैरा 20] [905-एच; 906-ए-डी]

3. अधिनियम की धारा 34(4) स्वयं यह स्पष्ट करती है कि इस मामले को हटाने का विवेकाधिकार न्यायालय के पास निहित है कि वह मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्यवाही को फिर से शुरू करने का अवसर दे या न दे। "जहां यह उचित है" शब्द स्वयं इंगित करते हैं कि किसी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर मामले को प्रेषित करने के लिए न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब अधिनियम की धारा 34(4) के तहत आवेदन दायर किया जाता है, तो उस पक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 34(1) के तहत आवेदन अधिनियम की धारा 34(4) और उसका उत्तर में उठाए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए, जिसने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय और इसके तहत दायर आवेदन में उठाए गए आधारों पर सवाल उठाया है। केवल इसलिए कि एक पक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 34(4) के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है, यह हमेशा अदालत की ओर से अनिवार्य नहीं होता है कि वह आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को मामला वापस भेजे।

अधिनियम की धारा 34(4) के तहत प्रदान की गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग वहां करना हैं जहां अपर्याप्त तर्क है या तर्क में अंतराल को भरने के लिए, उन निष्कर्षों के समर्थन में प्रयोग किया जाना है जो पहले से ही अवार्ड में दर्ज हैं। अतिरिक्त कारणों की आड़ में और तर्क में कमी को पूरा करने के लिए, मध्यस्थ को कोई अवार्ड नहीं भेजा जा सकता है, जहां अवार्ड में विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं हैं। अगर वहाँ अवार्ड में विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं हैं या यदि कोई निष्कर्ष रिकॉर्ड पर सामग्री साक्ष्य की अनदेखी करते हुए दर्ज किया जाता है, अवार्ड को अपास्त करने के लिए भी यही स्वीकार्य योग्य आधार हैं। अतिरिक्त कारणों की आड़ में या तर्क में कमी को पूरा करने के लिए, न्यायालय को प्रदत्त शक्ति मध्यस्थ को नहीं दी जा सकती है। किसी भी निष्कर्ष के अभाव में विवादास्पद मुद्दा, कोई भी कारण अवार्ड में दोष को ठीक नहीं कर सकता है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31, 34(1), 34(2ए) और 34(4) के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उचित मामलों में, किसी पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर, न्यायालय मध्यस्थ को कारण देने के लिए मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने या किसी निष्कर्ष के समर्थन में तर्क में कमियों को पूरा करने का अवसर दे सकता है, जो पहले से ही निर्णय में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उसी समय, जब यह प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि अवार्ड में ही एक पेटेंट अवैधता है, एक विवादास्पद मुद्दे पर एक निष्कर्ष दर्ज नहीं करके, ऐसे मामलों में, न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अवसर देने के लिए एक पक्ष के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया कि साक्ष्य पर आगे विचार करने पर 'सहमति और संतुष्टि' के अनुरोध पर, जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया है, भले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण सचेत रूप से यह अभिनिर्धारित करना चाहता है कि पक्षों के बीच 'सहमति और संतुष्टि' थी, वह स्वयं उस निर्णय को बदलकर ऐसा नहीं कर सकता है, जिसे वह पहले ही पारित कर चुका है। [पैरा 21] [906-ई-एच; 907-ए-ई]

किन्नरी मलिक और अन्य वी. घनश्याम दास दमानी **(2018) 11 एस. सी. सी. 328;** डायना टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड वी. क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड **(2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 1656** और सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड बनाम **केरल राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 259: [2009] 14 एससीआर 611**-**अंतर किया गया**।

ए. के. एन और ए. एन. आर. वी. ए. एल. सी. और अन्य **(2015) एसजीसीए 63 [निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील्स]**- **अंतर किया गया**।

आयकर अधिकारी, ए वार्ड, सीतापुर बनाम। मुरलीधर भगवान दास **ए. आई. आर. 1965 एससी 342: [1964] एससीआर 411** और जे. अशोक बनाम। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और अन्य। **(2017) 2 एससीसी 609: [2016] 11** एससीआर 81-**भरोसा किया गया।**

पर्मास्टेलिसा पैसिफिक होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम। हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी **लिमिटेड (2005) एसजीएचसी 33 [उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का निर्णय]-**निर्दिष्ट किया गया।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

(2018) 11 एससीसी 328 प्रतिष्ठित पैरा 12
[2009] 14 एससीआर 611 प्रतिष्ठित पैरा 12
[1964] एससीआर 411 उस पर भरोसा करें पैरा 15
[2016] 11 एससीआर 81 उस पर भरोसा करेंपैरा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः वर्ष 2022 की सिविल अपील सं. 7 .

मुंबई उच्च न्यायालय के 16.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2018 की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका संख्या 190 में 2019 की वाणिज्यिक सूचना प्रस्ताव No.1549 से उद्भूत है।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पृथ्वी गर्ग, सुश्री हरिमोहन एन., सुश्री सुप्रग्या, सुश्री आशिमा चौहान, सुश्री नूरेन सरना, एड. अपीलार्थी के लिए।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुमित गोयल, सुश्री सोनल गुप्ता, सुश्री श्रीपर्णा बसक, राघव बंसल, आर. वेंकटरमन, चाणक्य द्विवेदी, मेसर्स पारेख एंड कंपनी, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2018 की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका संख्या 190 में 2019 की वाणिज्यिक सूचना प्रस्ताव में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।

3. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 34 के तहत दायर 2018 की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका No.190 में, प्रतिवादी-आईसीआईसीआई बैंक ने विद्वान एकल मध्यस्थ के दिनांकित 13.11.2017 के अवार्ड को चुनौती दी है। उपरोक्त अवार्ड द्वारा, विद्वान मध्यस्थ ने प्रतिवादी-आईसीआईसीआई बैंक को निम्नानुसार निर्देश दियाः

"क) प्रत्यर्थी (आईसीआईसीआई बैंक) को आदेश दिया जाता है और दावेदार (आई-पे) को ब्याज के साथ Rs.50,00,00,000/- (पचास करोड़ रुपये) की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। अवार्ड की तारीख से भुगतान तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर या प्राप्ति, जो भी पहले हो;

ख) प्रत्यर्थी (आईसीआईसीआई बैंक) को आदेश दिया जाता है और इस मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष की गई धारा 16 के तहत आवेदन पर लागत के रूप में दावेदार (आई-भुगतान) Rs.50,000/- (पचास हजार रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है "।

4. प्रत्यर्थी-आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत दायर याचिका में, का नोटिस ऑफ मोशन 2018 No.550 निकाला है और अवार्ड दिनांक 13.11.2017 जोकि मध्यस्थ के द्वारा पारित किया गया है उसे स्थगित करने की सहायता चाही है। उसी याचिका में, अपीलार्थी/आई-पे ने अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत 2019 के प्रस्ताव की सूचना No.1549 को जारी किया है, जिसमें तीन महीने की अवधि के लिए कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई है या ऐसा अन्य समय जो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए, और विद्वान मध्यस्थ को उचित निर्देश/निर्देश/अतिरिक्त कारण जारी करने और/या ऐसी आवश्यक और उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। उच्च न्यायालय ने एक सामान्य आदेश द्वारा सशर्त आदेश पारित किया है, और प्रत्यर्थी द्वारा निकाला गया प्रस्ताव और अधिनियम की धारा 34(4). के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा 2019 के प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया गया। बर्खास्तगी के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील दाखिल की गई है।

5. अपीलार्थी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कार्ड प्रदान करने के व्यवसाय में है। स्मार्ट कार्ड आधारित वफादारी कार्यक्रमों के लिए वैयक्तिकरण, लेन-देन और सुलह प्रबंधन, जिसके लिए उनके पास मुंबई में एक संचालन सुविधा है, जिसमें विभिन्न शहरों में परिचालन केंद्र हैं। प्रतिवादी आईसीआईसीआई बैंक कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त है और बैंकिंग सुविधाएं, खुदरा वित्तीय सहायता और संबंधित गतिविधियों को प्रदान करने का व्यवसाय करती है। एच. पी. सी. एल. (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड), जिसे मूल रूप से सूट में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में शामिल किया गया था, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो पूरे भारत में अपने खुदरा दुकानों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों को परिष्कृत करने और बेचने में लगी हुई है।

6. यह अपीलार्थी का मामला है कि उसने एच. पी. सी. एल. के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करने और स्मार्ट कार्ड आधारित वफादारी कार्यक्रमों के संचालन और प्रसंस्करण का प्रबंधन करने के लिए 04.11.2002 पर प्रत्यर्थी के साथ एक समझौता किया है। यह एच. पी. सी. एल. के लिए था, जिसे अपने खुदरा दुकानों पर ईंधन की बिक्री में सुधार करना था। अपीलार्थी को स्मार्ट कार्ड आधारित वफादारी कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग पैकेज विकसित करने की आवश्यकता थी। उक्त समझौते के बाद 04.02.2003 दिनांकित एक और समझौता हुआ, जिसके अनुसार, अपीलार्थी को "ड्राइव स्मार्ट सॉफ्टवेयर" नाम के तहत क्रेडिट कार्ड के समान पोस्टपेड स्मार्ट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करना था। यह अपीलार्थी का मामला है कि अपने ग्राहक आधार को और विस्तार करने के लिए, इसमें प्रतिवादी ने अपीलार्थी से बेड़ा उद्योग के लिए एक "*ड्राइव ट्रैक फ्लीट कार्ड*" प्रबंधन समाधान विकसित करने का भी अनुरोध किया और इसे सेवा

प्रदाता समझौते के लिए एक विस्तार के रूप में मानने के लिए 10.12.2003 दिनांकित पत्र द्वारा अनुरोध किया और उस उद्देश्य के लिए अपीलार्थी को नियुक्त किया और इसे "*ड्राइव ट्रैक प्रोग्राम*" के रूप में नामित किया गया।

7. अपीलार्थी की यह शिकायत है कि इसमें प्रत्यर्थी द्वारा अचानक उठाए गए कदम को देखते हुए, सेवा प्रदाता समझौता दिनांक 04.11.2002 को अचानक समाप्त कर दिया गया है। जिस कारण से इसे अपने कर्मचारियों की नौकरी के नुकसान, कर्मचारी छंटनी मुआवजे के कारण नुकसान आदि के कारण Rs.50 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। यह भी उनका मामला है कि समझौते की अचानक समाप्ति के कारण इसके सभी संचालन लकवाग्रस्त हो गए थे। अपीलार्थी ने प्रतिवादी के खिलाफ कुल Rs.95 करोड़ का दावा किया। सबसे पहले, बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय में अपने मूल क्षेत्राधिकार में 2012 के ओएस नंबर 1094 में एक मुकदमा दायर किया गया था। चूंकि मध्यस्थता के लिए समझौते में एक खंड था, इसलिए उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए श्री न्यायमूर्ति आर. जी. सिंधाकर (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करके अधिनियम की धारा 8 के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा है।

8. श्री न्यायमूर्ति आर. जी. सिंधाकर (सेवानिवृत्त), जिन्हें एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था, मध्यस्थ ने दिनांक 13.11.2017 का अवार्ड पारित किया है, जिसमें प्रतिवादी को निर्देश दिया गया है कि वह अपीलकर्ता-दावेदार को अवार्ड की तारीख से भुगतान तक प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ Rs.50,00,00,000/(पचास करोड़ रुपये) की राशि का भुगतान करे और आगे लागत के लिए Rs.50,000/- (पचास हजार रुपये) की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

9. एकल मध्यस्थ के अवार्ड से दुखी होकर प्रतिवादी आई सी आई सी आई बैंक ने अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत उक्त अवार्ड को अपास्त किये जाने हेतु यह प्रकरण लगाया है। उक्त आवेदन मे प्रतिवादी का यह पक्ष था कि जब दानो पक्षो के मध्य समानता और संतुष्टि थी और इस आधार पर आपसी सहमति के अनुसार प्रक्रिया समाप्त की गयी थीं। इस संबंध में पत्र दिनांक 01-06-2010 को आधार बनाया गया है जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षर किये गये है और संविदा को समाप्त करने की शर्तें तथा पक्षकारों के मध्य हुये अन्य पत्राचार का भी उल्लेख किया गया है। मध्यस्थ के द्वारा पा रित अवार्ड को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि यह पेटेंट रूप से अवैध है एवं इसमें ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि प्रतिवादी आईसीआईसीआई बैक द्वारा अवैध और अचानक संविदा को तोडा है। विद्वान मध्यस्थ के द्वारा अपने अवधारणा हेतु पांच बिंदु बनाये थे जिसमें से प्रथम बिंदु था, ''क्या प्रतिवादी आईसीआईसीआई बैक द्वारा अवैध और अचानक संविदा को तोडा है?'' प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की –धारा 34 (1) के तहत दायर आवेदन में मुख्य आधार यह है कि विद्वान मध्यस्थ ने बिंदु संख्या 1 पर कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना, Rs.50 करोड़ रुपये का अवार्ड अपीलार्थी/आई-पे को भुगतान करने का दिया है। आवेदन में यह अनुरोध किया गया है कि मध्यस्थ का निर्णय कथित उल्लंघन की सटीक प्रकृति और कथित समाप्ति की तारीख का खुलासा नहीं करता है। यह प्रत्यर्थी का मामला है

कि महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किए बिना कि क्या संविदा की कोई अवैध और अचानक समाप्ति है या नहीं, विद्वान मध्यस्थ ने Rs.50 करोड़ की सीमा तक दावे की अनुमति दी है, जो कि स्पष्ट रूप से अवैध और गलत।

10. प्रत्यर्थी द्वारा दायर मध्यस्थता याचिका में, अपीलार्थी / आई-पे ने विद्वान मध्यस्थ को उचित निर्देश/निर्देश/अतिरिक्त कारण जारी करने और/या ऐसी आवश्यक और उचित कार्रवाई करने का निर्देश देकर तीन महीने की अवधि के लिए कार्यवाही स्थगित करने के लिए अधिनियम की धारा 34(4) के तहत प्रस्ताव की सूचना ली है। विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया है कि जब तक बिंदु संख्या पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है तब तक विद्वान मध्यस्थ अपीलार्थी द्वारा किए गए दावों पर निष्कर्ष दर्ज करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था, इस प्रकार विद्वान मध्यस्थ ने अधिकार क्षेत्र में त्रुटि की है।

उच्च न्यायालय का विचार था कि अवार्ड में दोष ठीक करने योग्य नहीं है, इसलिए अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया।

11. हमने डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री नकुल दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपीलार्थी/आई-पे और श्री के व्ही विश्वनाथन की ओर से उपस्थित होते हुए सुना है।

12. आक्षेपित आदेश द्वारा, अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत मामले को एकमात्र मध्यस्थ को भेजने के लिए प्रस्ताव की सूचना दी गई , को अस्वीकार कर दिया गया है। यह अपीलार्थी का मामला है कि यद्यपि मध्यस्थ ने मुआवजे/हर्जाने का आदेश दिया है परंतु प्रतिवादी द्वारा पक्षकारों के बीच अनुबंध को अवैध रूप से और अचानक समाप्त कर दिया गया था, इसके संबंध मे कोई कारण मध्यस्थ के द्वारा दर्ज नहीं किया है । दूसरी ओर, यह प्रत्यर्थी का मामला है कि दोनों पक्षकार के बीच पूर्ण सहमति और संतुष्टि थी, इस प्रकार, अपीलार्थी किसी भी मुआवजे/हर्जाने का हकदार नहीं है, जैसा कि दावा किया गया है। इस मामले को साबित करने के लिए कि पक्षों के बीच 'सहमति और संतुष्टि' थी, प्रतिवादी ने 01.06.2010 दिनांकित पत्र सहित पक्षों के बीच कुछ संचार दायर किए हैं। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी का यह तर्क है कि यद्यपि मध्यस्थ द्वारा इस मुद्दे को यह मानते हुए हल किया गया था कि पक्षों के बीच कोई समझौता और संतुष्टि नहीं थी, लेकिन उन्होंने बिंदु संख्या 1 के समर्थन में पर्याप्त कारण देने में चूक की है। इस प्रकार, यह अनुरोध किया जाता है कि पूर्व से निर्धारित कानूनी स्थिति को देखते हुए कारणों की कमी अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत एक उपचार योग्य दोष है, अत: कारण बताने के लिए मध्यस्थ को अवार्ड वापस भेजा जा सकता है। उक्त तर्क के समर्थन में याचिका में कहा गया है कि मध्यस्थ के निर्णय में कारणों या तर्क में अंतराल की कमी एक उपचार योग्य दोष है, इस संबंध में इस न्यायालय के निम्न निर्णयों पर भरोसा किया जाता है- ***किन्नरी मलिक और अन्य वी. घनश्याम दास दमानी ', डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वी. क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड और सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड वी. केरल राज्य ।*** यह व्यक्त किया जाता है कि अधिनियम की धारा 34(4) की भाषा, बहुत

व्यापक शब्दों में लिखी गई है और मध्यस्थ को ऐसे कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए मामले को वापस भेजने का प्रावधान करती है, जो अवार्ड को अपास्त करने के लिए आधारों को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। यह व्यक्त किया जाता है, हालांकि बिंदु संख्या 1 के समर्थन में पर्याप्त सबूत हैं, मध्यस्थ ने अवार्ड में उक्त बिंदु के समर्थन में पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं। यह दलील दी जाती है कि अधिनियम की धारा 34(4) UNCITRAL मॉडल कानून के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आधारित है। जो कि ***ए. के. एन. एवं अन्य वी. ए. एल. सी. और अन्य*** के मामले में सिंगापुर अपील न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अवार्ड को वापस किया जाना अवार्ड को अपास्त करने के लिए एक 'उपचारात्मक विकल्प' है। सिंगापुर उच्च न्यायालय के द्वारा ***पर्मास्टेलिसा पैसिफिक होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड*** के मामले में दिये गये फैसले को भी संदर्भित किया गया है।

13. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान ने पूरक तर्क किया है कि अवार्ड केा वापस लिया जाना अवार्ड को अपास्त किये जाने के विकल्प के रूप मे रखा गया है। यह भी तर्क किया गया है कि किसी मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वापस भेजने का स्पष्ट वैधानिक उद्देश्य उन दोषों को दूर करना है जो अवार्ड को संरक्षित करेंगे। इस प्रकार, यह व्यक्त किया जाता है कि एक मध्यस्थ अवार्ड में सभी दोष यदि अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो अवार्ड केा सुधारने में सक्षम हैं, तो अवार्ड को वापस किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये। ***डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वी. क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड,*** के निर्णय को विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुन: प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत प्रावधान का उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां मध्यस्थता अवार्ड कोई तर्क प्रदान नहीं करता है या यदि निर्णय में तर्क में कुछ कमियां हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, विवादित अवार्ड को अपास्त करने का अनुरोध किया और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अवार्ड इस मुद्दे पर विचार करने के लिए वापस भेजने के लिए निर्देश जारी करना, कि पक्षों के बीच किए गए समझौते की अचानक और अवैध समाप्ति के बिंदु पर विस्तृत कारण देना।

14. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं-

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की सूचना को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में वैध कारण बताते हुए खारिज कर दिया गया है और उसी को देखते हुए, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थ को मामला वापस भेजने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन में कोई आधार नहीं बताया गया है, और वास्तव में, मध्यस्थ ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार नहीं किया है और अवार्ड पारित किया। चूंकि मध्यस्थ ने अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण और प्रासंगिक साक्ष्य की अनदेखी करके अवार्ड पारित किया है, इसलिए यह प्रतिकूलता और पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है। जिसे मध्यस्थ द्वारा अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत वापस कर ठीक नहीं किया जा सकता है। कारण जोड़ने की आड़ में, मध्यस्थ स्वयं अवार्ड के विरुद्ध विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकता है।

कार्यवाहियों को फिर से शुरू करने में मध्यस्थ अपने निर्णय को बदल नहीं सकता है और यह अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत प्रावधान के विपरीत होगा। ऐसा करने में मध्यस्थ न्यायालय की भूमिका ग्रहण कर, जो अकेले अवार्ड को रद्द करने का अधिकार रखता है। यह तर्क किया गया है कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य के बावजूद कि पक्षों के बीच 'सहमति और संतुष्टि' थी, इस तरह के साक्ष्य पर विचार किए बिना, मध्यस्थ इस आधार पर आगे बढ़ा है कि कोई 'सहमति और संतुष्टि' नहीं थी और अपीलार्थी के पक्ष में अवार्ड पारित किया। अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य पर विचार किए बिना पुरस्कार में 'सहमति और संतुष्टि' के बिंदु पर दर्ज किए गए निष्कर्ष, पेटेंट अवैधता का गठन करते हैं, इस प्रकार, अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते समय केवल न्यायालय द्वारा ही इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह मानते हुए भी कि प्रकरण वापस किये जाने पर, मध्यस्थ सचेत रूप से यह अभिनिर्धारित करना चाहता है कि दोनों पक्षों के मध्य दावों की सहमति और संतुष्टि थी और अनुबंध की कोई अचानक और अवैध समाप्ति नहीं थी, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं अपना अवार्ड नहीं बदल सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यों के आधार पर पृथक किये जाने योग्य हैं और अपीलार्थी के मामले को कोई समर्थन प्रदान नहीं करते हैं। इस न्यायालय के समक्ष की किये गये मौखिक तर्क, आवेदन में दर्ज अभिवचनों के विपरीत हैं।

15. 'निष्कर्ष' और 'कारणों' के बीच अंतर करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने इस न्यायालय के द्वारा ***आयकर अधिकारी, ए वार्ड, सीतापुर बनाम मुरलीधर भगवान दास*** के फैसले पर भरोसा किया है। यह भी तर्क किया गया है कि अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा पेश प्रस्ताव की सूचना, विलंबित और बाद में विचार के बाद की गई है और केवल मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए की गई है, और अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना की गई है।

16. इससे पहले कि हम दोनों पक्षों की ओर से किये गये विभिन्न तर्कों पर विचार करें, हमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 31 'मध्यस्थता अवार्ड के प्रारूप और विषय-वस्तु' से संबंधित है। उसी के अनुसार, एक मध्यस्थ अवार्ड लिखित रूप में दिया जाएगा और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। मध्यस्थता अवार्ड उन कारणों को बताएगा, जिन पर यह तब तक आधारित है, जब तक कि पक्ष इस बात पर सहमत न हों कि कोई कारण नहीं दिया जाना है, या अवार्ड अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत सहमत शर्तों आधारित हो। अधिनियम के अध्याय VII में मध्यस्थता अवार्ड के विरुद्ध सहायता प्रदान की गई है। मध्यस्थता अवार्ड के विरुद्ध न्यायालय की सहायता अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत होना चाहिए। अधिनियम की धारा 34(2ए) के अनुसार, यदि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता अवार्ड पेटेंट अवैधता से दूषित है, तो यह अवार्ड को रद्द करने का आधार है। अधिनियम की धारा 34 (2ए), (3) और (4) निम्नानुसार हैः

"**34.(2ए)** अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता अवार्ड को भी न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है, यदि न्यायालय को लगता है कि अवार्ड पेटेंट अवैधता से प्रथम दृष्ट्या दूषित है- परंतु किसी अवार्ड को केवल इसी आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता कि वह विधि के किसी गलत अनुप्रयोग या पुनर्मूल्यांकन पर आधारित है।

(3) किसी भी मध्यस्थता अवार्ड को अपास्त किये जाने के लिए आवेदन जिस दिनांक को उस पक्ष को अवार्ड प्राप्त हुआ था उस दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर या यदि धारा 33 के अंतर्गत प्रार्थना की गई है तब उस दिनांक से जब उक्त प्रार्थना को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के द्वारा निराकरण किया गया हो।

परंतु यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने से रोकने के पर्याप्त कारण थे तब तीन महीने की उक्त अवधि के बाद भी तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन, उक्त आवेदन पर विचार कर सकता है, परंतु उसके बाद नहीं।

(4) उप-धारा (1) के अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय, जहां यह उचित है और किसी पक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही फिर से शुरू करने का अवसर देने के लिए अपने द्वारा निर्धारित समय की अवधि के लिए कार्यवाही को स्थगित कर सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण की राय में मध्यस्थता कार्यवाही को अपास्त करने के आधारों को समाप्त कर देगा। "

17. अधिनियम की धारा 34(4) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, उपयुक्त मामलों में -किसी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर, न्यायालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने का अवसर देने के आदेश में अपने द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कार्यवाही को स्थगित कर सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण की राय में मध्यस्थता अवार्ड को अपास्त करने के आधार को समाप्त कर देगा।

18. यह अपीलार्थी का मामला है कि प्रत्यर्थी द्वारा समझौते को अचानक और अवैध समाप्ति को देखते हुए, उसे Rs.50 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि उसके सभी कार्य लकवाग्रस्त हो गए थे, और अपीलार्थी को अपने कर्मचारियों की छंटनी के मुआवजे आदि का भुगतान करना पड़ा। उपरोक्त आधार पर 95 करोड रुपये का दावा प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। दूसरी ओर प्रत्यर्थी के द्वारा यह मामला प्रस्तुत किया गया है कि दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति और संतुष्टि थी जो कि कई पत्रों से दर्शित है, जो कि मध्यस्थता कार्यवाही के अभिलेख में है। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पत्र दिनांकित 01.06.2010, 17.06.2010, दिनांकित 02.08.2010 ईमेल और दिनांकित 08.11.2010 और 20.01.2011 पत्रों पर भरोसा किया गया है। यह प्रत्यर्थी का विशिष्ट मामला है कि विद्वान मध्यस्थ ऐसे साक्ष्य की सराहना करने में विफल रहे, जो उनके मामले को

स्थापित करें कि पक्षों के बीच सहमति और संतुष्टि थी और उनकी ओर से कोई अचानक समाप्ति या कोई उल्लंघन नहीं था। यह उनका मामला है कि अभिलेख पर महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने की इस तरह की चूक को देखते हुए, मध्यस्थ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष प्रतिकूल हैं और अधिनियम की धारा 34(2ए) के अर्थ के अंतर्गत पेटेंट अवैधता का गठन करते हैं। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव की सूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त प्रस्ताव एक पर्याप्त सावधानी के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वे मध्यस्थ को मध्यस्थता अवार्ड दिनांक 13.11.2017 में पूर्व से दिये गये कारणों के अतिरिक्त कारण अंकित किये जाने की अनुमति चाह रहे हैं। यह भी उनका मामला है कि यह आवश्यक है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा अवार्ड में दर्ज अपने निष्कर्षों के समर्थन में अतिरिक्त कारण उपलब्ध कराए जाएं। दूसरी ओर, यह प्रत्यर्थी का मामला है कि इस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है -"क्या प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध अवैध रूप से और अचानक समाप्त कर दिया गया था? , और इसके बावजूद, मध्यस्थ ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर विचार किए बिना जो कि पक्षकारों के मध्य हुये पत्राचार/संचार, जो पार्टियों के बीच सहमति और संतुष्टि पर प्रकाश डालते हैं, ने अवार्ड को पारित किया है।

19. जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, यह सच है कि अधिनियम की धारा 34(4) उसी भाषा में लिखी गई है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून का अनुच्छेद 34(4) लिखित है। ***ए. के. एन. एवं अन्य विरुद्ध ए.एल.सी. एवं अन्य*** के मामले में सिंगापुर कोर्ट ऑफ अपील्स ने कानून के विधायी इतिहास पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि मामला वापस किया जाना एक 'उपचारात्मक विकल्प' है। ***किन्नरी मलिक एवं अन्य विरुद्ध घनश्याम दास दमानी*** के प्रकरण पर भरोसा करते हुये अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा व्यक्त किया गया है कि उक्त प्रकरण में जो प्रश्न विचार के लिये था वह यह था कि क्या अधिनियम की धारा 34(4) न्यायालय को इस बात का अधिकार प्रदान करती है कि पक्षकारों के द्वारा आवेदन न किये जाने पर भी उनका मामला मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अवार्ड को अपास्त कर पुन: वापस कर सके। वास्तव में, उक्त निर्णय में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने का तात्पर्य न्यायाधिकरण को ऐसे उपाय करने में सक्षम बनाना है जो अवार्ड में दोषों को दूर करके मध्यस्थता अवार्ड को अपास्त करने के आधार को समाप्त कर सकते हैं। ***डायना टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड वी. क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड,*** यह एक ऐसा मामला था जिसमें अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत कोई जांच नहीं हुई थी और उक्त मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि अधिनियम की धारा 34(4) के पीछे विधायी इरादा, न्यायाधिकरण को उपचार योग्य दोषों को दूर करने का अवसर देने के बाद, अवार्ड को लागू करने योग्य बनाना था। वह अवार्ड में पेटेंट अवैधता का मामला नहीं है, बल्कि एक निष्कर्ष के लिए तर्क की कमी के कारण अवार्ड में कमी है जो पहले से ही अवार्ड में दर्ज थी। इसी मामले में, यह भी स्पष्ट रूप से माना गया है कि जब कारणों में पूरी तरह से विकृति होती है, तब केवल इसी आधार पर अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अवार्ड को चुनौती दी जा सकती है। ***सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य,*** भी एक ऐसा मामला है जहाँ अवार्ड में पहले से दिए गए निष्कर्ष के लिए कारण नहीं

दिए गए हैं, इस न्यायालय पाया कि अधिनियम की धारा 34(4) को देखते हुए, उच्च न्यायालय को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को कारण देने का अवसर देना चाहिए था।

20. उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायदृष्टांत अपीलार्थी को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर उक्त प्रकरण पृथक किये जाने योग्य है। जब यह प्रतिवादी का विशिष्ट मामला है कि बिंदु संख्या पर 1 अर्थात् इस बिंदू पर कोई निष्कर्ष नहीं है कि "क्या प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध अवैध रूप से और अचानक समाप्त कर दिया गया था?", अत: अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत अवार्ड वापस करने की अनुमति नहीं है। हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 34(4) का उपयोग अवार्ड में पहले से दिए गए निष्कर्ष पर कारणों को अंकित करने या अवार्ड में कारणों की कमी को पूरा करने के लिये किया जा सकता है। ***आयकर अधिकारी, ए वार्ड, सीतापुर बनाम मुरलीधर भगवान दास*** के निर्णय में जैसा कि प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बताया गया है 'निष्कर्ष' और 'कारणों' के बीच अंतर है। उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि 'निष्कर्ष किसी मुद्दे पर निर्णय है'। इसके अलावा, ***जे. अशोक बनाम कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और अन्य*** में इस न्यायालय ने कहा है कि 'कारण उन सामग्रियों के बीच संबंध हैं जिन पर कुछ निष्कर्ष आधारित हैं और वास्तविक निष्कर्ष है'। बिंदु संख्या 1 पर किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा अनुरोध किया गया है, और आगे यह उनका मामला है कि मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक सामग्री जो कि 'पक्षों के बीच सहमति और संतुष्टि' को साबित करने के लिए थी, पर विचार नहीं किया गया है, और यह पेटेंट अवैधता के बराबर है, ऐसे पहलुओं पर न्यायालय द्वारा ही विचार किया जाना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां बिंदु संख्या 1 अर्थात् " क्या प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध अवैध रूप से और अचानक समाप्त कर दिया गया था? पर निष्कर्ष के अभाव में अतिरिक्त कारण या कारणों में कमी पूरी की जानी है।

21. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 34(4) स्वयं यह स्पष्ट करती है कि मामले को मध्यस्थ को भेजने का विवेकाधिकार न्यायालय के पास निहित है कि क्या न्यायाधिकरण को कार्यवाही फिर से शुरू करने का अवसर दे या न दे। "जहां यह उचित है" शब्द स्वयं इंगित करते हैं कि पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर मामले को प्रेषित करने के लिए यह न्यायालय का विवेकाधिकार है। जब अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत आवेदन दायर किया जाता है, तो उस पक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत आवेदन में उठाए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए, जिसने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय और अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत दायर आवेदन में उठाए गए आधारों पर सवाल और जवाब को उठाया है। सिर्फ इसलिए कि एक पक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत आवेदन दायर किया जाता है, यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि न्यायालय मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वापस भेजे। अधिनियम की धारा 34(4) के अंतर्गत प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग, जहां अपर्याप्त तर्क है या तर्क में कमी को भरने के लिए किया जाना है, उन निष्कर्षों के समर्थन में जो पहले से ही अवार्ड में दर्ज हैं। अतिरिक्त कारणों और तर्क में कमी को भरने की आड़ में , मध्यस्थ को कोई अवार्ड नहीं भेजा जा सकता है, जहाँ अवार्ड में विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं हैं। यदि अवार्ड में विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं हैं या यदि कोई निष्कर्ष रिकॉर्ड

पर सामग्री साक्ष्य की अनदेखी करते हुए दर्ज किया जाता है, तो वही अवार्ड को अपास्त करने के लिए स्वीकार्य योग्य आधार हैं। अतिरिक्त कारणों या तर्क में कमियों को भरने की आड़ में, न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग मध्यस्थ को मामला वापस भेजने के लिए नहीं किया जा सकता है। विवादास्पद मुद्दे पर किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, कोई भी कारण अवार्ड के दोष को दूर नहीं कर सकता है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31, 34(1), 34(2ए) और 34(4) के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उचित मामलों में, किसी पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर, न्यायालय मध्यस्थ को कारण देने के लिए मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने या किसी निष्कर्ष के समर्थन में तर्क में कमियों को भरने का अवसर दे सकता है, जो पहले से ही निर्णय में उल्लेख किया गया है। लेकिन उसी समय, जब यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि किसी विवादास्पद मुद्दे पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं करके, अवार्ड में ही एक पेटेंट अवैधता है, तो ऐसे मामलों में, न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अवसर देने के लिए किसी पक्ष के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा, जैसा कि प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उचित रूप से तर्क दिया कि साक्ष्य पर आगे विचार करने पर 'सहमति और संतुष्टि' के अनुरोध पर, जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया है, भले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण सचेत रूप से यह अभिनिर्धारित करना चाहता हो कि दोनों पक्षों के बीच 'सहमति और संतुष्टि' थी। यह स्वयं अवार्ड को बदलकर ऐसा नहीं कर सकता है, जिसे वह पहले ही पारित कर चुका है।

22. तदनुसार, उपरोक्त दर्शित आधारों पर हम इस अपील में कोई ठोस आधार होना नहीं पाते हैं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश हस्तक्षेप किया जाए। अत: इस दीवानी अपील को खारिज किया जाता है, लागत के संबंध में पृथक से कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

नीलिमा देव दत्त